६ अंतरराष्ट्रीय समस्या

चलो दोहराई करेंगे !

पिछले अध्याय तक हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अध्ययन किया। इस अध्याय में हम कुछ महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होतीं। उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होते हैं। विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को 'अंतरराष्ट्रीय समस्या' कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। शरणार्थियों की समस्या भी अब अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले रही है। अतः हम उसका भी विचार करेंगे।

मानवाधिकार : मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं; वे अधिकार। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। अमेरिका तथा फ्रांस की राज्यक्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है, इस विचार को बल मिला। उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई।

अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय : संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणापत्र तैयार किया गया। १० दिसंबर १९४८ को संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में यह घोषणापत्र बहुमत से पारित किया गया। इसके बाद वर्ष १९६६ में नागरी और राजनैतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आमसभा ने मान्यता दी। ये दोनों समझौते अंतरराष्ट्रीय कानून के भाग हैं। इन समझौतों का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है।

> मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हों यह देखना राज्य का दायित्व होता है।

शीतयुद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में प्रस्तुत किया गया। अफ्रीका का वर्ण द्वेष मानवाधिकार विरोधी है इसीलिए वर्ण द्वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह ये उसी के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं।

आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग, पर्यावरण के लिए खतरा, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

मानवाधिकार के घोषणापत्र में कुल ३० धाराएँ हैं। इस घोषणापत्र में नागरी स्वतंत्रता संबंधी धाराएँ हैं। उसी प्रकार रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी हैं। सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दें; यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणापत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का घोषणापत्र २० नवंबर १९५९ को प्रसारित किया गया।

मानवाधिकार और भारत : भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। वर्ष १९९३ में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' तथा 'राज्य मानवाधिकार आयोग' स्थापित किए गए हैं। मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व है।

करके देखिए

यहाँ कुछ समस्याएँ दी गई हैं। उनका राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दो गुटों में वर्गीकरण कीजिए।

- कमजोर वर्ग का सशक्तीकरण
- सार्वजनिक अस्वच्छता
- आतंकवाद
- मानवाधिकार हनन
- अर्थव्यवस्था का निजीकरण
- गरीबी, निरक्षरता
- सार्वजनिक परिवहन जाम
- ओजोन की परत पतली होना
- आंतरिक मतभेद

बताइए तो !

वर्तमान में भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

पर्यावरण : वर्तमानकाल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष १९७० में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। बढ़ता औद्योगिकीकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है; ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। उन कार्यकर्ताओं ने २२ अप्रैल १९७० को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियाँ, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्ठियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता है और विविध समस्याएँ निर्माण होती हैं। इस अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा।

वर्ष १९९० के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्परावलंबन बढ़ गया और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता है। उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों

को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक जान पड़ता है।

वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियाँ नष्ट होना, मृदा की उर्वराशक्ति कम होना, पानी की किल्लत, वर्षा की मात्रा कम-अधिक होना, तापमान बढ़ना, नदियाँ, तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों की निर्मिति, एसिड वर्षा, ओजोन की परत का क्षीण होना ये सब पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम हैं। इनमें से कुछ परिणाम विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उनके दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है तो कुछ प्रश्न मूल में ही वैश्विक स्वरूप के होते हैं।

पर्यावरण की रक्षा : एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर

करके देखिए।

* विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित पर वैश्विक स्वरूप के प्रश्न निर्माण करने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के उदाहरण दीजिए।

करके देखिए।

इंटरनेट की सहायता से पेरिस परिषद के विषय में जानकारी लें और निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी संकलित करें।

* सहभागी देशों की संख्या।
* चर्चा के विषय।
* भारत द्वारा उपस्थित किए गए मुद्दे।

स्टॉकहोम से पेरिस परिषद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तथा उनपर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम में ५ से १६ जून १९७२ की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई।

- इस परिषद में प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, इसपर बल दिया गया।
- विकसित देश अधिक मात्रा में पर्यावरण ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं और इस ह्रास को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। ऐसी भूमिका विकासशील राष्ट्रों ने ली। आज भी विकासशील राष्ट्र यही भूमिका प्रस्तुत करते हैं।
- इस परिषद में पर्यावरण के लिए काम करने वाली गैरसरकारी संस्थाएँ उपस्थित थीं, यह इस परिषद की और एक विशेषता है।
- इस परिषद में वैश्विक, सामाजिक संपत्ति की रक्षा का मुद्दा प्रस्तुत किया गया। इन साधनों के संरक्षण का दायित्व सभी राष्ट्रों पर है, इसपर सभी एकमत हो गए।
- इस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' निर्माण किया।
- इस परिषद के बाद अनेक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौते हुए। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम तैयार हुए। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन बड़ी मात्रा में शुरु हो गए और पर्यावरण संबंधी अंतरराष्ट्रीय परिषद में निर्णय प्रक्रिया में गैरसरकारी संगठनों का सहभाग बढ़ गया।
- इसका अगला चरण अर्थात वर्ष १९९२ में हुई रियो में हुई पर्यावरण परिषद। इस परिषद में 'स्थायी विकास' इस अवधारणा पर बल दिया गया। जैविक विविधता, हरित गृह वायु के कारण वातावरण में होने वाला परिवर्तन, जंगल की रक्षा आदि विषयों पर विविध समझौते किए गए।

वर्ष १९९७ में क्वेटा में आयोजित परिषद में विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए। यह मापदंड १५ वर्षों तक जारी रहा।

उसके बाद नवंबर २०१५ में पेरिस में जलवायु परिवर्तन विषय पर परिषद आयोजित की गई। इस परिषद में सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तथा तापमान वृद्धि रोकने के लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयत्न करें तथा विकासशील देशों को उसके लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में विकसित राष्ट्र सहायता करें ऐसा आह्वान किया गया।

क्या आप जानते हैं?

महासागर, गहरा समुद्र तल, वातावरण, बाह्य अंतरिक्ष, अनुवांशिक संसाधन का समावेश वैश्विक संसाधन में होता है। ये संसाधन विश्व के सभी राष्ट्रों के होने के कारण सभी राष्ट्रों द्वारा उसकी देखभाल करना अपेक्षित है।

आतंकवाद : वर्तमान में यह एक बड़ी समस्या है। विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विश्व का कोई भी राष्ट्र केवल अपने बल पर आतंकवाद का सामना करने में असमर्थ है। इसीलिए आतंकवाद यह वैश्विक समस्या मानी जाती है।

आतंकवाद से तात्पर्य क्या है?

राजनैतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसे धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना ही आंतकवाद कहलाता है। आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है।

आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी परिणाम हुआ है। विगत दो दशकों में विविध राष्ट्रों में आतंकवादी संघर्ष तीव्र गति से बढ़ता ही गया है। आंतकवादी संघर्ष पारंपारिक युद्ध की अपेक्षा अलग होता है। पारंपरिक युद्ध दो या अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है। ऐसे युद्ध में प्रमुख रूप से राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्त्व होता है अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है; तो आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से कहीं भी हिंसात्मक गतिविधियाँ करवा सकता है। आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुँचाना नहीं, बल्कि देश की राजसत्ता को चुनौती देना अथवा सरकार के अस्तित्व को नकारना होता है अर्थात बढ़ते आतंकवाद से देश की बाह्य सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा निर्माण होता है।

आतंकवाद की रोक-थाम करने के लिए विविध राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली में आपसी सहयोग से काम करना आवश्यक हो गया है।

ढूँढ़िए तो !

* सीरिया से अनेक नागरिक शरणार्थी क्यों हो रहे हैं?
* विश्व के और किन राष्ट्रों से शरणार्थी के रेले आ रहे हैं?

शरणार्थियों की समस्या : जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है तथा सहारा पाने के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राष्ट्र में जाने के लिए विवश होना पड़ता, है ऐसे लोगों को 'शरणार्थी' कहा जाता है। विशिष्ट वंश, धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होना अथवा उन्हें निकाल देना, युद्ध या आपदा के कारण अपने देश का त्याग करने पर बाध्य होना आदि के कारण लोग शरणार्थी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपना देश छोड़कर दूसरे राष्ट्र में आश्रय माँगने की नौबत आती है।

दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व जर्मनी में ज्यू लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी नागरिकता और संपत्ति छीन ली गई। इस कारण ज्यू लोग शरणार्थी हो गए। वर्ष १९७१ में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ राजनैतिक और धार्मिक अत्याचार होने के कारण वहाँ के लोग शरणार्थी हो गए और भारत के आश्रय में आ गए। विगत कुछ वर्षों में इराक और सीरिया में युद्धजन्य परिस्थिति के कारण वहाँ से बड़ी मात्रा में लोग शरणार्थी होकर बाहर निकल रहे हैं। शरणीर्थियों के ऐसे अनेक उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं।

शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र की सहायता

किसी भी राष्ट्र के लोगों को जब शरणार्थी होने अर्थात अपना देश छोड़ने की नौबत आती है तब उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महत्त्वपूर्ण समस्या तो यह होती है कि अपना देश छोड़कर कहाँ जाएँ? और क्या वह राष्ट्र हमें स्वीकार करेगा? ये प्रश्न उनके सामने होते हैं। दूसरे अर्थात अपने साथ-साथ परिवार के लोगों को सुरक्षित रूप से ले जाना। इसका जबरदस्त शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। इसके साथ ही कठिन रास्ता, छिपते-छिपाते जाना, प्राकृतिक समस्या जैसे, धूप, वर्षा, आँधी-तूफान, खाद्यान्न का अभाव, बीमारी, पीछा करता शत्रु आदि समस्याएँ होती ही हैं। इससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है।

सुरक्षित स्थान पर पहुँचने पर नई समस्याएँ होती हैं। काम की तलाश, रहने की जगह और अन्य रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे राष्ट्र की भाषा तथा संस्कृति भिन्न होगी तो उनसे तादात्म्य होने में अड़चनें आती हैं। जिस राष्ट्र में शरणार्थी आश्रय लेते हैं वहाँ का समाज उन्हें स्वीकार करेगा ही ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसके विपरीत शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण राष्ट्र पर अधिक बोझ बढ़ता है। जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत निर्माण होती है, अपराध की मात्रा बढ़ जाती है, महँगाई बढ़ती है। स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट आता है। शांति और सुव्यवस्था की समस्या निर्माण होती है। ऐसी अनेक समस्याएँ निर्माण होती हैं। इस कारण शरणार्थियों को आश्रय देने हेतु और उनका पुनर्वास करने हेतु अनेक राष्ट्र तैयार नहीं होते।

शरणार्थियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष १९५१ में कुछ प्रावधान किए गए। उसके अनुसार शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जा सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार उनके प्रश्न हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त का कार्यालय भी स्थापित किया गया है।

मानवाधिकारों का संरक्षण और उनका संवर्धन सभी राष्ट्रों द्वारा किए जाने पर अन्याय, शोषण तथा हिंसाचार कम होंगे। सभी लोगों को सुरक्षा के साथ अपना विकास करना संभव हो पाएगा। पर्यावरण की रक्षा कर आतंकवाद का उन्मूलन करने पर मानवाधिकार अधिक प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया जा सकेगा। विश्व में किसी भी जनसमूह को शरणार्थी होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न होने पर मानवीय असुरक्षा दूर होगी। इसके लिए सभी राष्ट्रों को एकत्रित आना, आपसी सहयोग बढ़ाना, ठोस कृति करना तथा प्रत्यक्ष में बदलाव लाना आदि प्रयत्न करने चाहिए।

अगले वर्ष हम इस आधार पर स्वतंत्र भारत ने कौन-सी प्रगति की है; इसका अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की है?
- (अ) महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद
- (ब) कावेरी जल बँटवारा
- (क) शरणार्थियों की समस्याएँ
- (ड) आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद

(२) निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश मानवाधिकार में नहीं होता?
- (अ) रोजगार का अधिकार
- (ब) सूचना का अधिकार
- (क) बालकों का अधिकार
- (ड) समान काम के लिए समान वेतन

(३) निम्नलिखित में से कौन-सा दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है?
- (अ) शिक्षक दिन
- (ब) बाल दिन
- (क) वसुंधरा दिन
- (ड) ध्वज दिन

२. निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य सकारण स्पष्ट कीजिए।

(१) पर्यावरणीय ह्रास पर उपाय योजना खोजने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा सहयोग करना आवश्यक है।

(२) शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राष्ट्र तैयार रहते हैं।

३. निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) मानवाधिकार (२) पर्यावरणीय ह्रास

(३) आतंकवाद

४. दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए।

निम्न अवधारणा चित्र पूर्ण कीजिए।

कारण
१.
२.
३.
४.

दृश्य परिणाम
१.
२.
३.
४.

पर्यावरणीय ह्रास

उपाययोजना
१.
२.
३.
४.

५. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखों।

(१) मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(२) आतंकवाद के क्या परिणाम होते हैं यह बताकर आतंकवाद की रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए।

उपक्रम

(१) शिक्षक की सहायता से राज्य बाल अधिकार आयोग की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(२) चीन का 'गौरैया मारो' आंदोलन और भारत का 'चिपको आंदोलन' की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(३) क्या बड़े बाँध के कारण समस्या निर्माण होती है? अपना मत लिखिए।

(४) विद्यालय में संपन्न 'वसुंधरा दिवस' का वृत्तांत लिखिए।

7J6L25

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

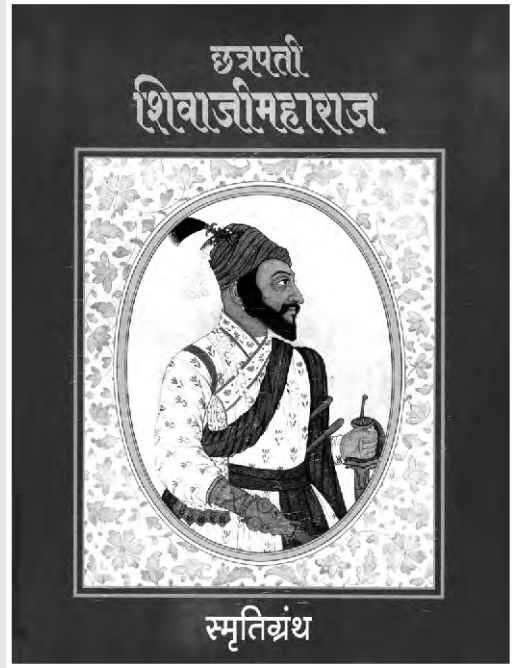

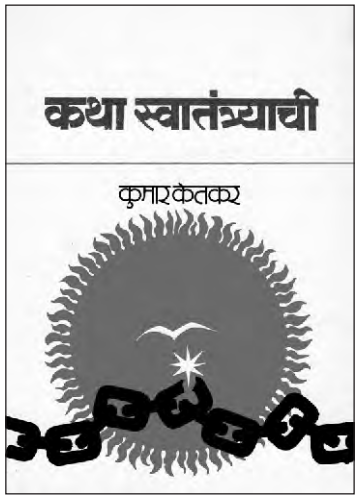

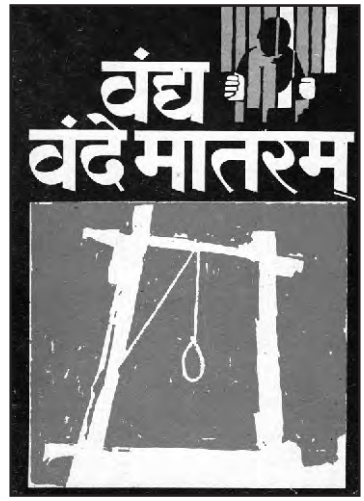

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in **संकेतस्थळावर भेट द्या.**

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इतिहास व राज्यशास्त्र इ. ९ वी (हिंदी माध्यम)

₹ 54.00